

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 345 / सत्तर-4-2016-43(4) / 2010
लखनऊ, दिनांक- 21 मार्च, 2015

शुद्धि-पत्र

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में देय अनुदान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-341/सत्तर-4-2016-43(4)/2010, दिनांक 18.03.2016 त्रुटिवश लेखा शीर्षक- "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-12-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" अंकित हो गया है। अतः उसके स्थान पर लेखा शीर्षक- "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-12-काशी विद्यापीठ-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" समझा/पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या- 345(1)/सत्तर-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- कुलसचिव/वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 5- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- संबंधित कोषाधिकारी।
- 7- सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
- 8- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल ऑनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

ममलेश/लेखा
30/3/16